

***hRegarding reconsideration of subsidy claims made by farmers under subsidy schemes of National Horticulture Board-laid**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): एनएचबी वेबसाइट 28.03.2017, 12.04.2017, उन मामलों में प्रस्ताव स्वीकार करेगा जहां बैंको ने 01.04.17 को या उसके बाद सावधि ऋण पहले ही दिया है और कहा आईपीए हेतु कागजों की सूची समय पर प्रकाशित होगी जबकि किसानों ने बैंकों से फूलों की खेती के लिए सावधि ऋण लिया और परियोजना शुरू की, इसके बाद 01.05.17 को एनएचबी ने वेबसाइट पर नोटिस दिया और कहा एससीपी टीएसपी एनई क्षेत्र के किसानों को ऑनलाइन आईपीए हेतु आवेदन करना है 15.08.17 को एनएचबी ने दिल्ली संस्करण समाचार में विज्ञापन दिया और कहा जिन किसानों का टर्म लोन 01.04.17 को या उसके बाद पहले ही वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया है वे 01.09.17 और 30.09.17 के बीच आईपीए के लिए ऑनलाइन करेंगे 19.08.17 को एनएचबी ने वेबसाइट पर प्रकाशित निर्देश के अनुसार लंबित सब्सिडी दावों के महत्वपूर्ण बैकलॉग के कारण पॉलीहाउस संरक्षित खेती परियोजनाओं हेतु विदर्भ को छोड़कर महाराष्ट्र से प्रस्ताव स्वीकार करेगा। जबकि किसानों ने पहले ही बैंकों से सावधि ऋण लिया और सब्सिडी पर काम किया, किसानों पर पर्याप्त सावधि ऋण ब्याज भुगतान का बोझ है। मैं सरकार से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एनएचबी योजना के तहत प्रिंसिपल अप्रूवल आवेदनों के सब्सिडी दावों पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ ।